राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांकःप 9(112)राज-6/2012/1 जयपुर, दिनांक 10.02.2014

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 260 के खण्ड (ख) सपठित 26 उप-धारा (1) खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप धारा (1) एवं अधिसूचना क्रमांक 5(21) राज-4/80/35 दिनांक 04.09.1982 के तहत नामान्तरकरण के मामलों को भरतपुर संभाग में ग्राम पंचायत की शक्तियां ग्राम पंचायतों के स्थान पर राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

यह अधिसूचना दिनांक 10.02.2014 से 19.02.2014 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

sd/-
(जे.पी. बुनकर)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीया मुख्यमंत्री जी ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
4. निबंधक राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
5. संभागीय आयुक्त, भरतपुर।
6. जिला कलेक्टर, भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर।
7. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 10.02.2014 में प्रकाशन हेतु ।
8. प्रविरा, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव